...ार्यालय : उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, पाली

..rajasthan.gov.in Mail-ID : ddicdspali002@gmail.com Telephone No. 02932-226907

../2021–22/1284 दिनांक 20.06.2022

विज्ञप्ति

जिले की निम्नलिखित परियोजनाओं में आगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु सम्बन्धित कार्यालयों में आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते है।

क्र. स.	परियोजना का नाम	रिक्त पदो का विवरण केन्द्रो के नाम सहित		
		कार्यकर्ता	मिनी कार्यकर्ता	सहायिका
1.	बाली	–	–	बीजापुर तृतीय , सेवाड़ी पंचम, रूपानेरी
2.	देसुरी	डायलाना कला 1, गुड़ा मांगलियान, माण्डीगढ 2	–	देसुरी 3, सारगंवास, डायलाना कल्ला 1, कोट सोंलकियान 2, नया गांव, आना 1,
3.	जैतारण	–	–	मोहराई 1 , मोहराई 2 (SC), कुम्बाजी का मन्दिर, मानसिह गुड़ा, बम्बों का बास
4.	खारची	गुड़ा केसरसिंह	–	गोपावास, बासौर, दुदौड़ 3, धुन्धला 3, भगवानपुरा
5.	पाली ग्रामाण	प्रताप नगर 2, जूनी एन्दला, सुन्देलाव, राजीव कॉलोनी	चवरड़ा की ढाणी	घाचियों का बास, भटवाड़ा 3, प्रताप नगर 1 (SC), राजेन्द्र नगर 1, रामपुरा(SC), शिवपुरा, बाणियावास, खैरवद्ध 3 (Minority)
6.	रायपुर	सोडपुरा	–	कुशालपुरा 5, लालपुरा
7.	रानी	खौड़ 4, विंगरला	गुड़ा मेघसिंह	गुड़ा ठाकुरजी, गुड़ा माताजी, बालराई 1, खौड़ 2, खौड़ 6, घेनड़ी 1, पादरली तुर्कान (Minority),
8.	रोहट	अरटिया वार्ड न. 4, रेवड़ाखुर्द, उन्दरा	–	–
9.	सोजत	ढुंढालाम्बोड़ी	–	चौकीदारो की ढाणी(SC), सुरायता 01 (SC), रामासनी सान्दवान, बागावास
10.	सुमेरपुर	बामनेरा	साण्डेराव 6 (ST), केनपुरा, सुमेरपुर 13 शान्ति नगर	पालडी जोड, तखतगड़ 1 खेडावास, राजपुरा 1(ST), देवतरा , पिचावा 2, बाबागाव 2

नोट :– आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के चयन हेतु नियम एवं शर्ते कार्यालय समय मे सम्बन्धित बाल विकास परियोजना कार्यालय मे देखी जा सकती है।

(राजेश कुमार)
उपनिदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
पाली (राज.)

शर्ते :–

1. ग्रामीण क्षेत्र/शहरी क्षेत्र मे महिला जिस आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है उस राजस्व ग्राम/वार्ड की स्थानीय महिला होनी चाहिये । चयन हेतू वांछित पात्रता निदेशालय के परिपत्र क्रमांक प.11(3)10/मो./आईसीडीएस/2021/108508 जयपुर दिनांक 19.08.2021 के एवं क्रमांक प.11(3)10/मो./आईसीडीएस/2021/48815–49615 दिनांक 30.03.2022 अधीन रहेगी।
2. आवेदन कर्ता महिला के घर में शौचालय होने एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र में की जानी अनिवार्य है। मूल निवासी होने के आधार हेतु दस्तावेजों की छाया प्रति मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड/जनआधार कार्ड/आधार कार्ड/मूल निवास प्रमाण पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र/ग्राम विकास अधिकारी/सरपंच द्वारा जारी प्रमाण–पत्र मे भी किया जाये। विधवा महिला व तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला को ससुराल व मायके दोनो सीनों के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा।
3. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बारहवीं उत्तीर्ण एवं विवाहित होना अनिवार्य है। सहायिका हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता दसवीं उत्तीर्ण होनी आवश्यक है। शहरी क्षेत्र की परियोजना में कार्यकर्ता/मिनी कार्यकर्ता को शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता किसी भी स्थिति में देय नहीं होगी।
4. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिका हेतु विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक आवेदक की आयु 21–40 वर्ष, अनुसुचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यागता एवं विशेष योग्यजन (गति आधारित– प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आकमण के पीड़ित, पेशीय दुष्पोशण) के प्रकरण में आवेदन के लिए अधिकतक आयु 45 वर्ष तक होगी।
5. विधवा हेतु प्रमाण पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र व पुनर्विवाह नही किया है इसका आवेदन पत्र की घोषणा में अंकन आवश्यक होगा। परित्यक्ता एवं तलाकशुदा की स्थिति में सक्षम स्तर (न्यायालय/उपखण्ड अधिकारी) से जारी आदेश/डिकी की छायाप्रति को आवश्यक रूप से दस्तावेजों में संलग्न किया जावे।
6. जिन केन्द्रों के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग का है, को उन केन्द्रों हेतु अनिवार्यतः उसी वर्ग की महिला का चयन किया जाएगा। जनसंख्या की गणना आंगनवाड़ी सर्वे रजिस्टर के आधार पर की जायेगी।

Scanned with CamScanner

7. आंगनवाड़ी मानदेय कर्मियों के चयन से सम्बन्धित कार्यवाही मे आर्थिक कमजोर वर्गो (EWS) के व्यक्तियों को जारी जाने वाले **Income & Asset Certificate** की वैधता विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.11(3)10/मो./मानदेय कर्मियों के चयन दिशा निर्देश/आईसीडीएस/2021/79399–431 दिनांक 16.05.2022 के अनुसार रहेगी।

8. आवेदन फार्म दो प्रतियों में भरकर मय आवश्यक संलग्नक संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में दिनांक 22.07.22 तक जमा कराये जा सकते हैं साथ ही आवेदन फॉर्म विभागीय वेबसाईट **http:www.wcd.rajasthan.gov.in** व संबंधित परियोजना से प्राप्त किये जा सकते है।

9. योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र दो प्रतियो मय समस्त स्वंय प्रमाणित दस्तावेज के सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिशः/ई–मेल अथवा अन्य माध्यम द्वारा सम्बन्धित परियोजना कार्यालय की ई–मेल पर तक कार्यालय समय में जमा करा सकेगे।

10. इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दिनांक 22.07.22 सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

दिनांक : 20-06-2022

क्रमांक : सबाविसे /2021–22/ 1285-91

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान निदेशक महोदय, समेकित बाल विकास सेवाएं राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, पाली।
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद पाली।
4. श्रीमान एनालिस्ट कम प्रोग्रामर समेकित बाल विकास सेवाए राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावे।
5. समस्त, उपखण्ड अधिकारी. पाली जिला ।
6. श्रीमान आयुक्त, नगर परिषद, पाली/अधिशाषी अधिकारी सम्बन्धित नगर पालिका, पाली जिला।
7. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति पाली जिला ।

उपनिदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
पाली (राज.)

Scanned with CamScanner